भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 842
दिनांक 07/02/2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

नकली रसायनों की आपूर्ति

842. श्री अजय कुमार मंडल:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में स्थानीय रूप से निर्मित या आयातित किए जाने वाले नकली रसायनों की आपूर्ति के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने नकली रसायनों की आपूर्ति में शामिल किसी व्यक्ति या कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने रसायनों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कोई मानक तय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग) कुछ खतरनाक रसायनों को छोड़कर रसायन क्षेत्र मुख्य रूप से लाइसेंस मुक्त और नियम मुक्त है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) देश में किसानों को गुणवत्तापूर्ण कीटनाशकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कीटनाशक अधिनियम, 1968 के विभिन्न प्रावधानों को कार्यान्वित करता है। कीटनाशक नियम, 1971 के नियम 9 में प्रावधान है कि राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा दिए गए लाइसेंस के बिना किसी भी कीटनाशक का विनिर्माण, भंडारण, बिक्री या बिक्री के लिए प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। लाइसेंसिंग अधिकारी उस परिसर, जहां कीटनाशक का विनिर्माण या बिक्री या वितरण प्रस्तावित है, में आवश्यक संयंत्र और मशीनरी, सुरक्षा उपकरणों, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता से संतुष्ट होने के बाद ही लाइसेंस प्रदान करता है,

इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बाजार में गुणवत्तापूर्ण कीटनाशक उपलब्ध हों, कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा 20 के तहत, विभिन्न राज्य सरकारों के 12316 अधिकारियों और केंद्र सरकार के 207 अधिकारियों को कीटनाशक निरीक्षकों के रूप में अधिसूचित किया गया है और उन्हें परिसर की तलाशी लेने, दस्तावेजों को जब्त करने, कीटनाशकों के वितरण या बिक्री को रोकने की शक्तियाँ दी गई हैं।

ये निरीक्षक नियमित रूप से अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र में किसी भी निम्न गुणवत्ता/गलत ब्रांड वाले/अपंजीकृत कीटनाशकों की बिक्री की रोकथाम के लिए विनिर्माता फर्मों और डीलरों/खुदरा विक्रेताओं का निरीक्षण करते हैं और उनके गुणवत्ता विश्लेषण के लिए कीटनाशकों के नमूने लेते हैं। इन नमूनों का विश्लेषण केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त कीटनाशक विश्लेषकों द्वारा किया जाता है। कीटनाशकों के नमूना परीक्षण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) या केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड एवं पंजीकरण समिति (सीआईबीएंडआरसी) के पंजीकृत उत्पाद विनिर्देश (आरपीएस) द्वारा अनुमोदित मानक प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है।

यदि कोई नमूना परीक्षण में विफल रहता है तो कीटनाशक अधिनियम, 1968 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 80,789 कीटनाशक नमूनों का विश्लेषण किया गया, और उनमें से 2,222 कीटनाशक नमूने मानक के अनुसार नहीं पाए गए, जो कुल नमूनों का 2.7% है और इस संबंध में उचित कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(**घ**) भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) रसायनों और पेट्रोरसायनों के लिए मानक तैयार करता है और वर्तमान में अधिकांश मानक स्वैच्छिक प्रकृति के हैं। गुणवत्तापूर्ण रसायनों और पेट्रोरसायनों के विनिर्माण और आयात को सुनिश्चित करने के लिए, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 16 के तहत बीआईएस मानकों को अनिवार्य बनाने का कार्य शुरू किया है। अब तक, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने बीआईएस मानकों को अनिवार्य बनाने के लिए 75 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अधिसूचित किए हैं।

*****